निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

14 श्रावण 1937 (श0)

(सं0 पटना 900) **पटना, बुधवार, 5 अगस्त 2015**

ty lalk/ku foHkkx

अधिसूचना
20 tqykbZ 2015

सं० 22/ नि0सि0(भाग0)–09–22/2010/1623—श्री सिद्धनाथ सिंह, आई0 डी0 क्रमांक–2361, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्रमंडल, सिकन्दरा द्वारा उनके पत्रांक 565 दिनांक 16.06.2011 द्वारा निगरानी विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 6925 दिनांक 11.09.2010 द्वारा उपलब्ध कराये गये राष्ट्रीय सम विकास योजना के अन्तर्गत लखीसराय जिला में अष्टघट्टी पोखर के सौन्दर्यीकरण योजना से संबंधित तकनीकी परीक्षक कोषांग के जाँच प्रतिवेदन के आलोक में निम्नांकित आरोपों के लिए स्पष्टीकरण समर्पित किया गयाः–

(i) बिना विभागीय अनुमति के राष्ट्रीय सम विकास योजना के अन्तर्गत लखीसराय जिला के मत्स्य प्रक्षेत्र में अष्टघट्टी पोखर की खुदाई, जीर्णोद्धार एवं सौन्दर्यीकरण योजना का कार्य कराना।

(ii) विषांकित पोखरा के पश्चिमी भिंडा पर 500 (पाँच सौ) फीट की लम्बाई में ईंटकरण दो लेयर में किया गया था। ईंटकरण में प्रायः सही गुणवत्ता का ईंट का प्रयोग नहीं किया गया था। कार्यपालक अभियंता द्वारा बतलाया गया कि उक्त घटिया ईंट की सुधार हेतु 5% (पाँच प्रतिशत) की दर से भुगतान में कटौती कर ली गयी है। उक्त ईंट सोलिंग कार्य में सुधार किये जाने का कोई साक्ष्य जाँच पदाधिकारी को उपलब्ध नहीं कराया गया है। स्थलीय जाँच में ईंट सोलिंग कार्य आंशिक रूप से किया गया एवं क्षतिग्रस्त अवस्था में पाया गया।
फलस्वरूप घटिया ब्रीक सोलिंग कार्य के लिए मापीपुस्त में मापी अंकित करना, विपत्र पारित करना एवं उक्त गलत कार्य के विरूद्ध भुगतान की गयी राशि की वसूली नहीं करना।

(iii) F_2 एकरारनामा के शर्त्तों के आलोक में निर्धारित सीमा के अन्दर विषयांकित अष्टघट्टी पोखर योजना का कार्य पूरा कराने हेतु संवेदक के विरूद्ध सार्थक कार्रवाई नहीं करना। संवेदक द्वारा कार्य अबतक नहीं कराया गया है। कार्य मानक एवं प्राक्कलन के अनुरूप नहीं पाया गया।

2. श्री सिद्धनाथ सिंह, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्रमंडल, सिकन्दरा द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण में प्रस्तुत किये गये तथ्यों की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गयी एवं समीक्षोपरान्त यह पाया गया कि श्री सिद्धनाथ सिंह, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता द्वारा विषयांकित कार्य के निविदा निस्तार, कार्य आवंटन एवं भुगतान के पश्चात उक्त प्रमंडल का प्रभार दिनांक 26.06.2009 को ग्रहण किया गया था अतएव आरोप संख्या–1 एवं 2 इनसे संबंधित नहीं है। जबकि कार्य पूर्ण कराने हेतु संवेदक के विरूद्ध सार्थक कार्रवाई नहीं करने के संबंध में उनके द्वारा मात्र दो पत्र लिखा गया परन्तु कालीकरण इत्यादि की कोई अनुशंसा इनके द्वारा नहीं की गयी। अतएव आरोप संख्या–3 के लिए

इन्हें आंशिक रूप से दोषी पाया गया है परन्तु विषयांकित कार्य में राज्य सरकार को कोई वित्तीय हानी नहीं हुई है तथा श्री सिंह दिनांक 31.07.2014 को सेवानिवृत भी हो चुके हैं फलतः श्री सिंह, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्रमंडल, सिकन्दरा सम्प्रति सेवानिवृत के विरूद्ध बिहार पेंशन नियमावली के नियम– 43 (बी0) के तहत कार्यवाही किया जाना संभव नहीं है।

3. उपर्युक्त पाये गये तथ्यों के आलोक में सरकार के स्तर पर श्री सिद्धनाथ सिंह, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्रमंडल, सिकन्दरा सम्प्रति सेवानिवृत के स्पष्टीकरण को स्वीकार करते हुए मामले को तकनीकी दृष्टिकोण से संचिकास्त करने का निर्णय लिया गया है।

उक्त निर्णय पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

श्री सिद्धनाथ सिंह, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्रमंडल, सिकन्दरा सम्प्रति सेवानिवृत को उक्त निर्णय संसूचित किया जाता है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
सतीश चन्द्र झा,
सरकार के अपर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 900-571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in